Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017 (PHALGUNA 10, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 1st March, 2017

No.7-HLA of 2017/9.— The Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the rules Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 7- HLA of 2017

THE HARYANA LAW OFFICERS (ENGAGEMENT) AMENDMENT BILL, 2017

A

BILL

further to amend the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty- eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Law Officers (Engagement) Amendment Act, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th September, 2016.

Amendment of section 6 of Haryana Act 18 of 2016.

2. After sub-section (3) of section 6 of the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016, the following sub-section shall be added, namely:-

"(4) A Law Officer engaged before the commencement of this Act, whose term has not expired, may be granted extension of term on the recommendation of the Selection Committee who shall obtain report about his satisfactory work and conduct from the Advocate General:

Provided that there shall be no such extension unless he fulfils such criteria, as prescribed for fresh engagement.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 was enacted by the State Legislative Assembly in order to provide for a system of making assessment of the requirement of Law Officers and their engagement and selection in each category in a transparent, fair and objective manner, that too based upon trust and confidence, keeping in view the relationship between lawyer and client. However, the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016 is silent on the issue of extension of term of a Law Officer whose work and conduct during the term of earlier engagement has been found satisfactory.

In order to facilitate re-engagement of Law Officers, whose term has expired after the commencement of the Act and who fulfil the eligibility criteria, an enabling provision is necessary by way of an amendment by inserting section 6(4) in the Haryana Law Officers (Engagement) Act, 2016.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 1st March, 2017.

SUBHASH CHANDER,
Additional Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–7 एच०एल०ए०

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2017
हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह 14 सितम्बर, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2016 का हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 6 का संशोधन।

2. हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 की धारा 6 की उप–धारा (3) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

''(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नियोजित किसी विधि अधिकारी, जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, को चयन समिति, जो महाधिवक्ता से उसके संतोषजनक कार्य और आचरण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करेगी, की सिफारिश पर अवधि का विस्तार प्रदान किया जा सकता हैः

परन्तु कोई भी ऐसा विस्तार तब तक नहीं होगा, जब तक वह ऐसे मानदण्ड, जो नये विनियोजन के लिए विहित किया जाए, को पूरा नहीं करता है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 को विधि अधिकारियों की आवश्यकता और प्रत्येक संवर्ग में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ चयन, अधिवक्ता और मुवक्किल के दृष्टिगत निष्ठा और विश्वास पर आधारित व्यवस्था बनाने के लिए राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। तथापि, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 विधि अधिकारी की कार्यावधि के विस्तार को जारी करने पूर्व नियोजन की कार्यावधि के दौरान कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाई जाती है पर मौन है।

जिन विधि अधिकारियों की कार्यावधि अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद समाप्त हुई है तथा जो योग्यता मापदण्ड पूरी करते हैं, के पुनर्विनियोजन को सुगम बनाने के लिए, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) अधिनियम, 2016 में धारा 6 की उप–धारा (4) के रूप मे समर्थकारी संशोधन की आवश्यकता है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 1 मार्च, 2017.

सुभाष चन्द्र,
अतिरिक्त सचिव।

55085—H.V.S.—H.G.P., Chd.